grant to the Christian Medical College j at Vellore in Madras State;

(b) the number of students undergoing training in that college at present; and

(c) the basis on which admission is made to the college?

THE MINISTER FOR HEALTH (RAJKUMAEI AMRIT KAUR) : (a) Yes.

(b) 252.

(c) University results and the results of the tests conducted by the College and personal interviews.

सब डिवीजन और तहसील के मुख्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था

२३१. श्री कृष्णकांत व्यास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के ऐसे सब डिवीजनल और तहसीलों के मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां इस समय तक टेलीफोन नहीं लगे हैं ;

(ख) उन सभी स्थानों में किस तिथि तक टेलीफोन लग जाने की सम्भावना है ?

t [TELEPHONE FACILITIES FOR SUB-DIVISIONAL AND TEHSIL HEADQUARTERS

231. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of sub-divisional and tehsil headquarters in each State where there are no telephone connections at present; and

(b) the probable date by which telephone facilities are proposed to be provided at all those places?]

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मांगी हुई सूचना साथ में लगे विवरण पत्र में दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुपत्र संख्या ७६]

(ख) वर्तमान नीति यह है कि हानि की दशा में सब डिवीजनल मुख्यालयों वाले नगरों में ही टेलीफोन व्यवस्था सुलभ की जाय, परन्तु कुल हानि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए । तहसील वाले स्थानों में आम टेलीफोन घर तभी खोले जाते हैं जब कि वे लाभजनक हों और उनमें हानि का कोई स्थान न हो । अधिकांश सब डिवीजनल नगरों में ऐसी सुविधाएं मार्च, १९५७ तक हो जाने की सम्भावना है ।

T[THE DEPUTY MINISTER FOR COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) A statement is attached. (See Appendix X, Annexure No. 76.)

(b) The present policy is to provide telephone facilities in sub-divisional headquarter towns on loss basis, subject to the aggregate loss not exceeding certain limits. No loss is allowable for tehsil stations, where Public Call Offices can be opened only if the proposals are remunerative.

Most of the Sub-Divisional towns are expected to be provided by March 1957.]

अन्नपूर्णा उपाहारगृह

२३२. श्री कृष्णकांत व्यास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अभी तक कितने नये अन्नपूर्णा उपाहारगृह खोले गए ; और

(ख) ये कहां कहां खोले गए हैं ?

f[ANNAPOORNA CAFETERIAS

232. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of Annapoorns Cafeterias opened so far during the \ current year; and

fEnglish translation.

(b) the names of the places where they have been opened?]

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) दो ।

(ख) बम्बई---एक मैजेस्टिक होटल में और दूसरा भारतीय विद्या भवन में ।

t[THE MINISTER FOR FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. P. JAIN): <a) Two.

(b) Bombay—one at the Majestic Hotel and the other at the Bhartiya Vidva Bhavan.l

रेलवे कुलियों को लाइसेंस देना

२३३. **श्री कृष्णकांत व्यास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले कुलियों से कोई शुल्क या उनकी कमाई का कोई अंश लायसेंस फीस के रूप में लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस फीस सारे देश में एक-सी है ; और

(ग) उनसे लिये जाने वाले शुल्क का विवरण क्या है ?

t [LICENSING OF RAILWAY PORTERS

233. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any fee is charged or any part of the earnings is taken as licence fees from the porters at railway stations;

(b) if so, whether licensing fee is uniform all over the country; and

(c) what are the details of the fees charged?]

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : (क) कुछ बड़े-बड़े स्टेशनों पर लायसेंसदार मोटिकों (porters) से थोड़ी लायसेंस फीस ली जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जहां कहीं लायसेंस फीस लगायी जाती है उसमें जो अन्तर है वह नीचे दिखलाया गया है :----

मध्य रेलवे----५ रुपये से लेकर ६ रुपये ८ आने प्रति मास और २ आने से लेकर ४ आने रोज ।

पश्चिम रेलवे----२ रुपये ४ आने से लेकर ३ रुपये १० आने प्रति मास ।

दक्षिण रेलवे----सब कहीं १ रुपये प्रति मास की दर से लायसेंस फीस ली जाती है ।

पूर्वोत्तर रेलवे----२ रुपये ८ आने से लेकर ४ रुपये प्रति मास ।

उत्तर रेलवे----१५ आने से लेकर ५ रुपये २ आने प्रति मास ।

पूर्व रेलवे----८ आने से लेकर ४ रुपये ४ आने प्रति मास ।

दक्षिण पूर्व रेलवे----८ आने से लेकर ४ रुपये प्रति मास ।

f[THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI O. V. ALAGESAN) : (a) A small licence fee is callected from each licensed porter at the more important railway stations.

(b) No.

(c) The licence fee, where levied, varies as shown below:

Central Railway.—From Rs. 5 to Rs. t>|8 per month and from As. -|2|- to As. -|4|- per day.

Western Railway.—From Rs. 2|4|-to Rs. 5|10|- per month.

Southern Railway.—A uniform licence fee of Re. 1 per month.

North Eastern Railway.—From Rs. 2|8|- to Rs. 4 per mensem.

Northern Railway.—From As. -|15|- to Rs. 5|2|- per month.

Eastern Railway.—From As. -j8|-to Rs. 4|4|- per month.

tEnglish translation.